01. **Criminal Revision N0-01/2018**

न्यायालय : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, टीकमगढ़ की न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़(म.प्र.)
(समक्ष :– राजकुमार गुप्ता)

Registration No-01/2018
Filing No- CRR/24/2018
CNR No- MP36010000282018
Filing Date–02.01.2018

महिला श्यामबाई आयु लगभग 70 वर्ष,
पत्नि श्री रघुवरदयाल कुम्हार,
निवासी– बड़ागांव धसान,
तहसील व जिला–टीकमगढ़ म0प्र0

– –पुनरीक्षणकर्ता

––: विरुद्ध :––

श्री गुलाब मुहम्मद उर्फ सुआ, आयु लगभग 60 वर्ष,
आत्मज श्री शेर अली खॉ,
निवासी–बड़ागांव धसान,
तहसील व जिला–टीकमगढ़ म0प्र0

– – – प्रत्यर्थी

अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला–टीकमगढ़ के न्यायालय के दांडिक प्रकरण क्रमांक 365/जे.टी./2016–17 श्यामबाई विरुद्ध गुलाब मुहम्मद में पारित आदेश दिनांक 04/12/2017 से उदभूत दांडिक पुनरीक्षण याचिका।

.....आदेश.....

(आज दिनांक 24/01/2019 को पारित)

01. यह पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 397 दं.प्र.सं. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी टीकमगढ़, के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 27.08.2016 अंतर्गत धारा 145 दं.प्र.सं. निरस्त कर दिया है।

02. इस पुनरीक्षण याचिका के निराकरण के लिए संक्षिप्त एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि आवेदिका ने दिनांक 27.08.2016 को एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 145 दं.प्र.सं. अनुविभागीय दण्डाधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवेदिका के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा नंबर 380 एवं 380/1763 है, जो बड़ागांव धसान तहसील व जिला टीकमगढ़ में स्थित है। इस भूमि के अंशभाग पर अनावेदक ने जबरन कब्जा कर गुमटी रखली है तथा ढाबा खोलने के लिए पत्थर डाल दिये है एवं गुमटी के सामने भारी भरकम टपरा डाल लिया है। आवेदिका द्वारा मना किया गया तो अनावेदक ने गाली–गलौच कर उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। आवेदिका की भूमि पर कब्जा कर लेने से आवेदिका को भारी अपूर्णीय क्षति हो रही है। आवेदिका ने दिनांक 16.08.16 को थाना प्रभारी बडागांव को लिखित में आवेदन दिया किंतु पुलिस द्वारा कहा गया कि पहले स्थगन आदेश लाओ तभी कार्यवाही कर पाएगे। अतः आवेदिका द्वारा उक्त भूमि पर आवेदिका का स्वामित्व घोषित करने एवं अवैध अतिक्रमण हटाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

03. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य आदेश दिनांक 04.12. 2017 द्वारा, आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन, इस आधार पर निरस्त किया कि, माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में आदेश पारित किये जाने से इस न्यायालय द्वारा कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

04. आलोच्य आदेश के संबंध में पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया के प्रकरण में साक्ष्य इत्यादि नहीं कराई गई और न ही साक्ष्य का अवसर दिया गया, फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि खसरा नंबर 380 के सीमांकन के दस्तावेजों पर विचार न कर आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य न होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

05. प्रत्यर्थी की ओर से इस पुनरीक्षण याचिका का विरोध इस आधार पर किया गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि कारित

नहीं की गई है। अतः पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जावे।

06. उभय पक्षों के तर्क सुने गए। अभिलेख एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 04.12.2017 का अवलोकन किया गया।

07. इस पुनरीक्षण याचिका के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार है :–

''क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश अवैधानिक, अनियमित एवं औचित्यहीन होने से अपास्त किये जाने योग्य है?

08. अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.08.2016 को एक आवेदन अंतर्गत धारा 145 दं. प्र.सं., इस आशय का प्रस्तुत किया गया, कि अनावेदक ने आवेदिका की भूमि खसरा नंबर 380 एवं 380/1763 के अंशभाग पर ढाबा खोलने के लिए जबरन कब्जा कर लिया है तथा आवेदिका द्वारा मना करने पर अनावेदक ने गाली–गलौच कर उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। आवेदिका की भूमि पर कब्जा कर लेने से आवेदिका को भारी अपूर्णीय क्षति हो रही है। अतः उक्त भूमि पर आवेदिका का स्वामित्व घोषित कर, अनावेदक को उक्त अवैध अतिक्रमण हटाये जाने का आदेश दिये जाने की कृपा की जाये।

09. अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदिका के आवेदन पत्र पर संज्ञान लेते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, दिनांक 27.08.2016 को, प्रारंभिक आदेश पारित कर उभयपक्षों को प्रश्नगत भूमि के कब्जे के संबंध में अपने अपने लिखित कथन प्रमाण सहित स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर पेश करने का निर्देश दिया गया साथ ही थाना प्रभारी बडागांव धसान को भी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। अनावेदक गुलाम मुहम्मद द्वारा दिनांक 20.06.2017 को तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 जिला टीकमगढ़, श्री परमानंद चौहान, के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2017 की प्रति को संलग्न करते हुए प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, दिनांक 04.12.2017 को इस आधार पर, कि माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में आदेश पारित

किये जाने से इस न्यायालय द्वारा कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, आवेदिका का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 145 दं.प्र.सं अस्वीकार कर दिया गया।

10. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदिका की साक्ष्य नहीं करायी गई और न ही प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मान्नीय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 जिला टीकमगढ़ के व्यवहारवाद क्रमांक 04ए/2015 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2017 का हवाला देकर प्रकरण को निरस्त करने में भारी भूल की है। अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 27.08.2016 अंतर्गत धारा 145 दं.प्र.सं., में जिस विवादित भूमि पर अनावेदक द्वारा अतिक्रमण की बात कहीं गई है उस पर अधीनस्थ व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत व्यवहार वाद क्रमांक 04ए/2015 में विद्वान अधीनस्थ व्यवहार न्यायालय द्वारा विचार किया जा चुका है तथा उक्त तथ्य पर तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 टीकमगढ़ द्वारा निर्णय किया जा चुका है जिसकी प्रतिलिपि अभिलेख पर विद्य मान है। इस संबंध में विधि बिल्कुल स्पष्ट है कि स्वत्व संबंधी प्रश्न का अवधारण केवल व्यवहार न्यायालय ही कर सकते हैं एवं व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दण्ड न्यायालय पर आबद्धकारी है। अतः जहां किसी प्रश्न का अवधारण व्यवहार न्यायालय द्व ारा कर दिया गया है वहां उसी प्रश्न पर दं.प्र.सं. की धारा 145 के अंतर्गत कार्यवाही अनुज्ञेय नहीं है।

11. प्रकरण की परिस्थितियों के संबंध में निम्न न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है–

Bharat Prasad & Ors.- Versus -The State of Bihar & Ors. (CRIMINAL APPEAL NO. 952 OF 2009(@SPECIAL LEAVE PETITION (CRIMINAL) NO. 5981 OF 2007) में मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया है कि –

In the another case of **Kunjbihari Vs Balram and (2006) 11 SCC 66** a three-Judge Bench of this Court has held Where rights of the parties have already been adjudicated upon by a different forum, the parties must respect that finding.In such a situation proceeding under Section 145 is not to be initiated to disturb the finding.

12. इस संबंध में निम्न न्याय दृष्टांत भी अवलोकनीय है –

05. **Criminal Revision N0-01/2018**

Ram Sumer Puri Mahant v. State of U.P. and others (A.I.R 1985 S.C 472)

"When a civil litigation is pending for the property wherein the question of possession is involved and has been adjudicated, we see hardly any justification for initiating a parallel criminal proceeding under S. 145 of the Code. There is no scope to doubt or dispute the position that the decree of the Civil Court is binding on the criminal court. The parallel proceedings should not be permitted to continue and in the event of a decree of the Civil Court, the criminal court should not be allowed to invoke its jurisdiction particularly when possession is being examined by the civil court and parties are in a position to approach the civil court for interim orders such as injunction or appointment of receiver for adequate protection of the property during pendency of the dispute. Multiplicity of litigation is not in the interest of the parties nor should public time be allowed to be wasted over meaningless litigation."

13- इस संबंध में निम्न न्याय दृष्टांत भी अवलोकनीय है जिसमें इस प्रकार के प्रकरणों के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं

***Bhoopatsingh v. Anrathsingh*, 1990 SCC OnLine MP 123 : 1991 MP LJ 371 at page 376**

Para 16. Keeping in view the law laid down by their Lordships of the Supreme Court, the following principles emerge:—

(i) where the question of title stands concluded by a decree of a competent Civil Court, the proceedings under section 145, Criminal Procedure Code are totally misconceived, and the remedy lies in initiating proceedings under sections 107/116, Criminal Procedure Code and binding over the erring party so as to respect the decree of the Civil Court;

(ii) when a civil litigation is pending either before the original Court or before the Appellate Court and looking to the nature and scope of the litigation, the parties are in a position to approach the Civil Court for interim orders such an injunction order or appointment of a receiver for adequate protection of the property during the pendency of the dispute, or if there be

such an order already existing, again there is no justification for initiating parallel criminal proceedings under sections 145/146, Criminal Procedure Code. If apprehension as to breach of peace is persisting, the remedy lies in taking recourse to proceedings under sections 107/116 or section 144, Criminal Procedure Code;

(iii) ----------

(iv)----------

14. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं न्याय दृष्टांतों के आलोक में यह निष्कर्षित किया जाता है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा, आदेश दिनांक 04.12.2017 जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 27.08.2016 अंतर्गत धारा 145 दं.प्र.सं. निरस्त कर दिया है, को पारित करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आलोच्य आदेश को वैधानिकता, अनियमितता एवं औचित्यता के आधार पर अपास्त नहीं किया जा सकता है।

15. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जाती है।

16. आदेश की प्रति के साथ संबंधित विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस भेजा जाये।

आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया।

(राजकुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश टीकमगढ़ म.प्र.

आदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(राजकुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश टीकमगढ़ म.प्र.

07. <u>Criminal Revision N0-01/2018</u>